



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 1230

भोपाल, दिनांक २१-10-2024

अधिसूचना

विश्वविद्यालय विद्या परिषद बैठक दिनांक 02-04-2024 की कार्यसूची क्रं. 18 में दिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के माध्यम से संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस प्रति सेमेस्टर रू. 750/- से बढ़ाकर रू. 900/- एवं जिन पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस प्रति सेमेस्टर रू. 1000/- है उसे बढ़ाकर रू. 1200/- निर्धारित की जाती है।


(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक २१-10-2024

पृ. क्र./अका./2024/

प्रतिलिपी: - 1231

1. निज सहायक, कुलगुरु / कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका।


(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव